भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 774
5 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों म बेडों को उपलब्धता

774. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शमा:
श्री डी.एन.वी. सथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या मानव विकास रिपोट 2020 के अनुसार भारत अपनी आबादी के अनुसार अस्पतालों म बेडों को उपलब्धता के मामले म 167 देशों म से 55व स्थान पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार को प्रतिक्रिया क्या है;
(ख) क्या स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे म सुधार के परिणामस्वरूप कोविड-19 महामारी को अवधि के दौरान देश म रोगी-बेड अनुपात म सुधार हुआ है;
(ग) सरकारी अस्पतालों को संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विशेषरूप से तमिलनाडू और महाराष्ट्र म उपलब्ध बेडों को संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों म रोगियों के लिए आवश्यक अस्पतालों और बेडों को संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने पिछले तीन वषों के प्रत्येक वष और चालू वष के दौरान अस्पतालों को स्थापना के लिए और बेडों को संख्या बढाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार धन आवंटित किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध म अन्य क्या आवश्यक कदम उठाए गए ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कायक्रम द्वारा तैयार को गई मानव विकास रिपोट, 2020 के अनुसार मानव विकास सूचक म भारत को रक 131 है। उक्त रिपोट http://hdr.undp.org/en/2020-report. पर प्राप्त को जा सकती

है। जैसा कि प्रश्न म वणन किया गया है जनसमूह के लिए अस्पतालों के बिस्तरों को उपलब्धता पर आधारित देश विशिष्ट रांकग न्यूज़पेपर के लेख पर आधारित है। संबंधित न्यूज़ पेपर द्वारा अपनाई गई रांकग को काय प्रणाली मंत्रालय को ज्ञात नहीं है। तथापि, किसी देश को अपनी जनसंख्या के लिए अस्पतालों म बिस्तरों को उपलब्धता पर आधारित मानव विकास रिपोट, 2020 म देशवार रांकग का वणन नहीं है।

(ख) कोविड-19 के खतरे को रोकने, पहचानने और इसका सामना करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2020 को इंडिया कोविड-19 इमरजसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयरनेस पैकेज अनुमोदित किया। पैकेज के तहत राज्य/संघ क्षेत्रों को केवल सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं म अवसंरचना के सुधार के लिए सहायता प्रदान को गई। तदनुसार इस मंत्रालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोट किए गए अनुसार सरकारी अस्पतालों (अथात पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच) म उपलब्ध बिस्तरों को संख्या 1 अप्रैल 2020 के अनुसार 631222 से बढ़कर 1 जनवरी 2020 को 760100 हो गई।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोट किए गए अनुसार सरकारी अस्पतालों (अथात पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच) को संख्या और इन सुविधाकेन्द्रों म बिस्तरों को संख्या अनुलग्नक म दी गई है।

(घ) से (च) सावजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और नए अस्पतालों को स्थापना, मौजूदा स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण सहित सुगम, वहनीय और गुणवत्तापूण स्वास्थ्य परिचया प्रदान करने को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों को है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत तथापि कायक्रम कायान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित उनको सावजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को देखभाल करने के लिए जनशक्ति को तैनाती के साथ उनको स्वास्थ्य परिचया प्रणाली सुदृढ़ीकरण करने के लिए उनके सावजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के विस्तार के लिए राज्य/ संघ राज्यों को वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान कराई जाती है। पीआईपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्यों को आवंटित निधि का विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (https://nhm.gov.in/) को वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त क्षमता विस्तार अथात अतिरिक्त अस्पताल बिस्तर, आईसीयू/एचडीयू, निशुल्क निदान और निशुल्क औषधि/दवाएं जहां कहीं आवश्यक है, के प्रावधान के माध्यम से एनएचएम के तहत सहायता प्रदान को जाती है। प्रधानमंत्री आत्मनिभर स्वस्थ भारत योजना प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक परिचया प्रणाली, मौजूदा राष्ट्रीय संरचनाओं का सुदृढीकरण और नई संस्थाओं का सृजन, नई और उभरती बीमारियों को पहचान और निदान करने के लिए तथा देखभाल करने के लिए घोषित को गई है।

अनुलग्नक- I

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों (पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच) म उपलब्ध बिस्तरों को संख्या (भाग (ग) से संबंधित सामग्री)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1 जनवरी 2021 तक को स्थिति	
	सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को संख्या	सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं म उपलब्ध बिस्तरों को संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34	1291
आंध्र प्रदेश	1771	29419
अरुणाचल प्रदेश	208	2482
असम	1280	23111
बिहार	2180	18218
चंडीगढ़	49	3658
छत्तीसगढ़	1030	16319
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	22	983
दिल्ली	627	20897
गोवा	70	2620
गुजरात	2251	44205
हरियाणा	718	14773
हिमाचल प्रदेश	776	10542
जम्मू और कश्मीर	1066	12312
झारखंड	565	9021
कनाटक	2957	58734
केरल	1309	40045

लद्दाख	41	613
लक्षद्वीप	10	250
मध्य प्रदेश	1944	41641
महाराष्ट्र	3296	71308
मणिपुर	122	2576
मेघालय	186	4595
मिजोरम	88	2062
नागालड	170	2052
ओडिशा	1839	18314
पुडुचेरी	53	4462
पंजाब	753	14399
राजस्थान	3283	55438
सिक्किम	32	1667
तमिलनाडु	2635	75999
तेलंगाना	980	18518
त्रिपुरा	158	4384
उत्तराखंड	394	6843
उत्तर प्रदेश	4454	65114
पश्चिम बंगाल	1915	61235
कुल	**39266**	**760100**

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए डेटा

*****